भारत छोड़ो आंदोलन : 1942 ई.

जापान की सफलताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय दबावों—अमेरिकी राष्ट्रपति *रूजवेल्ट*, चीनी राष्ट्रपति *च्यांग काई शेक*, आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री *डॉ. इवाट आदि द्वारा दिये गए दबाव*—को देखते हुए ब्रिटिश प्रधान मंत्री *चर्चिल* ने भारत के संवैधानिक संकट को सुलझाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा। 22 मार्च, 1942 ई. को क्रिप्स मिशन भारत पहुँचा। क्रिप्स के प्रस्ताव (29 मार्च, 1942 ई.) भारत को अनेक प्रांतों व रियासतों में बाँटने की ओर ले जाते थे इसलिए कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया। क्रिप्स ने कहा—'या तो इसे स्वीकार करो या छोड़ दो'। इसके बाद ब्रिटेन ने समझौते के सभी द्वार बंद कर दिए। क्रिप्स मिशन की असफलता का भारत–ब्रिटिश संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बंबई बैठक (7–8 अगस्त, 1942 ई.) में ऐतिहासिक प्रस्ताव—भारत छोड़ो (Quit India)—पारित किया गया। *गाँधीजी* ने इसी दिन लोगों को 'करो या मरो' (हम या तो भारत को स्वतंत्र करायेंगे या फिर उसके लिए संघर्ष में अपने प्राणों की बलि देंगे।) का प्रसिद्ध नारा दिया। इस आंदोलन के शुरू होते ही सरकार का दमन-चक्र आरंभ हो गया। गाँधीजी और अन्य अनेक नेता गिरफ्तार कर लिये गए।

नेताओं की अनुपस्थिति में इस आंदोलन ने जन-विद्रोह का रूप ले लिया। शासन का विरोध करते हुए लोगों ने जुलूस निकाले, सभाएँ की और हड़तालों का आयोजन किया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया। ऐसी स्थिति में जनता हिंसात्मक कार्यवाही पर उतर आई। भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का यह अंतिम बड़ा प्रयास था। निःसंदेह यह आंदोलन सरकार की प्रबल शक्ति के सामने नहीं टिक सका, किन्तु इसने भारतीय जनता की वीरता व लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की। भारत में ब्रिटिश सत्ता पर यही अंतिम

Scanned with CamScanner

आघात साबित हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों के लिए भारत में अधिक समय तक शासन करना असंभव है।

झारखंड में आंदोलन की प्रगति

भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा झारखंड आंदोलित हो उठा और झारखंड में लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल हुए। जगह-जगह जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन हुए, सभाएँ हुईं और आवागमन व संचार के साधनों को नष्ट किया गया।

आंदोलन का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है—

राँची : 9 अगस्त, 1942 ई. को राँची में हड़ताल रही। 10 अगस्त, 1942 ई. को *नारायण चंद्र लाहिरी* को गिरफ्तार किया गया। 14 अगस्त, 1942 ई. को राँची जिला स्कूल के निकट जुलूस निकाल रहे कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया। *जानकी बाबू* सहित राँची के कई नेता जैसे *देवेन्द्र कुमार, गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, गंगा महाराज* व *गोविंद भगत* को गिरफ्तार किया गया। नर्मदा हाई स्कूल, लोहरदगा के छात्रों ने स्कूल के हाते में राष्ट्रीय झंडा फहराया। गुमला थाना पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की गई। गुमला में हड़ताल हुई एवं जुलूस निकाला गया। 16 अगस्त, 1942 ई. को कुछ छात्र जेल के निकट इकट्ठे होकर नारे लगाने लगे। जेल के राजनीतिक कैदियों ने भी उनका साथ दिया। *शालिग्राम अग्रवाल* एवं *मोतीलाल अमेठिया* ने एक बार्डर को दबोच लिया तथा जेलर से हाथापाई की। पुलिस की सहायता से कैदियों को शांत किया गया। 17अगस्त, 1942 ई. को राँची शहर में एक विशाल जुलूस निकला। इसे सैनिकों की सहायता से तितर-बितर कर दिया गया। जिला कांग्रेस कमिटी के कोषाध्यक्ष *शिव नारायण मोदी* को गिरफ्तार कर लिया गया। टाटी सिलवे व नामकोम के बीच टेलीफोन व टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गईं। 18 अगस्त, 1942 ई. को टाना भगतों के एक दल ने विशुनपुर थाना को जलाया। उसी दिन बुंडु में हड़ताल हुई। 19 अगस्त, 1942 ई. को ओरमांझी के निकट तार काटा गया। 22 अगस्त, 1942 ई. को राहे में हड़ताल हुई। उसी दिन इटकी व टांगरबसली के बीच रेल की पटरी उखाड़ी गई। उसी दिन *पी.सी. मित्रा* गिरफ्तार किये गए। 28 अगस्त, 1942 ई. को राँची शहर की बिजली काटी गई। 30 अगस्त, 1942 ई. को बालकृष्ण स्कूल के रजिस्टर जलाये गए। नवम्बर, 1942 ई. तक राँची जिला में प्रायः 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था जिनमें प्रमुख थे : *विमल दास गुप्त, सुनील कुमार राय, डॉ. यदुगोपाल मुखर्जी, केशव दासगुप्त, रामरक्षा उपाध्याय, नारायण जी, सत्यदेव साहु* एवं *नंद किशोर भगत*।

हज़ारीबाग : हजारीबाग में आंदोलन का आरंभ 11 अगस्त, 1942 ई. को हुआ। *श्रीमती सरस्वती देवी* के नेतृत्व में एक जुलूस निकला। संध्या समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दो दिन बाद उत्तेजित जनता ने डाक घर, यूरोपियन क्लब, लाल कम्पनी एवं डिप्टी कमिश्नर की अदालत में तोड़-फोड़ की। इस जिले के अबरख की खानों में काम करने वाले मजदूरों ने राजनीतिक चेतना का परिचय दिया और उन्होंने झुमरी तिलैया में जुलूस निकाला। डाकघर, रेलवे स्टेशन व शराब भट्ठी में लोगों ने तोड़-फोड़ की। डोमचांच की जनता ने भी एक जुलूस निकाला। इस जुलूस पर गोली चलाई गई जिसमें 2 मरे और 22 घायल हुए। गिरिडीह में टेलीफोन एवं आवागमन के साधनों को नष्ट किया गया। वहाँ *चंद्र प्रसाद, वासुदेव प्रसाद, राजन सिंह, अजित कुमार नाग* व *जगन्नाथ सहाय* गिरफ्तार किये गए। चतरा में *रामानुग्रह प्रसाद, भागू गांझू, मुहम्मद हुई* व *शालिग्राम सिंह* गिरफ्तार किये गए। कोडरमा में कुछ पुलिसकर्मी भी आंदोलनकारियों से मिले हुए थे। तिलैया में 113 लोग गिरफ्तार किये गए। डुमरी में *अनंत लाल, कारु राम, दुःखन*

Scanned with CamScanner

मोची, काली मोची, बासन सोनार व *मोती राम* को गिरफ्तार किया गया। डोमचांच में *विशुन मोदी*, टंडवा में *उपेन्द्र प्रसाद* तथा सतगांवां में *वृजनंदन प्रसाद* पकड़े गए। धंवार में *पुनित राय, लेखा राम, नारायण मोदी, शनिचर तेली, वंसी मोदी, दशरथ मोदी, महावीर मोदी, झगडू कसेरा, छट्टू ठठेरा, पोखन राम सोनार, नरसिंह मारवाड़ी, अशर्फी सिंह, शिव नारायण सिंह* व *लक्ष्मी नारायण सिंह* को गिरफ्तार किया गया।

हज़ारीबाग जेल से जय प्रकाश नारायण आदि का पलायन

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में एक विशेष घटना हुई। वह थी हज़ारीबाग जेल से *जय प्रकाश नारायण* आदि नेताओं का पलायन। बिहार के कुछ नेताओं को, जिनमें *जय प्रकाश नारायण* सर्वप्रमुख थे, बिहार में गिरफ्तार कर हज़ारीबाग जेल में लाकर बंद किया गया था। उसी जेल से 9 नवम्बर, 1942 ई. को *जय प्रकाश नारायण* अपने 5 साथियों—*राम नंदन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार* व *शालिग्राम सिंह*—के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकलने में कामयाब हो गये। उल्लेखनीय है कि शालिग्राम सिंह हज़ारीबाग जिला कांग्रेस कमिटी के सचिव थे। *जय प्रकाश नारायण* को पकड़ने की सारी कोशिश बेकार गई। इस घटना से सबक लेते हुए *राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय,* व *सुखलाल सिंह* को हज़ारीबाग जेल से भागलपुर जेल स्थानान्तरित कर दिया गया।

सिंहभूम : टाटा नगर में मिल मजदूरों, दुकानदारों एवं आम नागरिकों ने 10 अगस्त, 1942 ई. को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। 15 अगस्त, 1942 ई. को *एम.के घोष, एम.जॉन, एन.एन. बनर्जी, त्रेता सिंह* व *टी.पी.सिन्हा* को गिरफ्तार किया गया। चक्रधरपुर एवं चाईबासा में 14 एवं 16 अगस्त, 1942 ई. को हड़ताल रही। 17 अगस्त, 1942 ई. को टाटा नगर में *एम.डी. मदन* की गिरफ्तारी हुई। 30 अगस्त, 1942 ई. की रात में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों पर मशीन गनों से गोलियां दागी गईं। फलस्वरूप 31 अगस्त, 1942 ई. को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रही। *रामानंद तिवारी* के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोह किया और नेताओं सहित 33 पुलिसकर्मियों को हज़ारीबाग जेल भेज दिया गया। 3–11 सितम्बर, 1942 ई. के बीच *रामचन्द्र पालिवाल* व *नैयर* के नेतृत्व में सफाईकर्मियों की हड़ताल हुई। 15 सितम्बर, 1942 ई. को मुसाबनी में *सी.पी. राजू, डी.परसादी, रेम्मी, गंगैया, कमलानन्दन, बस्टिन* व *अदल* नामक मजदूर नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 सितम्बर, 1942 ई. को घाटशिला के मद्रासी व उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला। *सत्यानंद, गोपाल, गाउन्डर, बी.एन.मिश्र, सुरेश कुमार मिश्र, श्याम सुन्दर पटनायक, स्वामी* व *सी. महमूद* को जेल भेज दिया गया।

पलामू : पलामू में आंदोलन का काफी जोर रहा। आंदोलन के सिलसिले में कई लोग गिरफ्तार किये गए जिनमें प्रमुख थे—*महावीर वर्मा, यदुवंश सहाय, गौरीशंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास, यदुनंदन तिवारी, देवराज तिवारी* व *जगनारायण पाठक*। रंका, रामकंडा, चीनिया, पेशका, मंडरिया व भवनाथपुर में शराब भट्ठियों में आग लगा दी गई। डाल्टेनगंज के प्रमुख डाकघर में आगजनी एवं तोड़-फोड़ की घटना हुई। सिगसिगी, हैदरनगर व कोमांडी में रेल की पटरी उखाड़ी गई। कई स्थानों में संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया।

पलामू में आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त, 1942 ई. को हुई। *भरत मल, नारायण साव* व *रामेश्वर तिवारी* को तत्काल गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। जपला सीमेंट फैक्टरी के *मिथिलेश कुमार सिंह* (जपला मजदूर संघ के सचिव) पकड़े गए। 13 अगस्त, 1942 ई. को विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकला। *गजेन्द्र प्रसाद, नन्दलाल प्रसाद, दशरथ राम, रामावतार राम, रघुनाथ अग्रवाल* व *महावीर प्रसाद* को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन जिला मुख्यालय

Scanned with CamScanner

तक ही सीमित नहीं था। भवनाथपुर में 200 लोगों ने एक भट्ठी को नष्ट कर दिया। महुआडाँड़ थाना को लूटने की कोशिश की गई। गढ़वा हाई स्कूल से ब्रिटिश सम्राट एवं रंका नरेश के चित्र उतार दिये गए। लेस्लीगंज व उँटारी में कुछ लोग गिरफ्तार किये गए। 17 अगस्त, 1942 ई. को डाल्टेनगंज डाकघर के निकट तोड़-फोड़ में लगे *दिकवा कोरवा, बोकारी उरांव, करीमन खरवार, जानकी खरवार, राम खेलावन सिंह, साधु महतो, सेवक महतो, गंगा चमार, भरत सिंह, कमलेश्वर प्रसाद अग्रवाल, शिव प्रसाद साहु, वैद्यनाथ तिवारी, कृष्ण नंदन सहाय, सुखदेव सहाय* व *जवाहर साव* पकड़े गए। लातेहार में 18 अगस्त, 1942 ई. को जुलूस निकला। उसी दिन डाल्टेनगंज में *विष्णु प्रसाद, गनौरी सिंह* को एक वर्ष की सजा मिली। 19 अगस्त, 1942 ई. को प्रायः 200 आंदोलनकारी *धनुष प्रसाद सिंह* के नेतृत्व में लेस्लीगंज थाना में घुस गये और उत्पात मचाया। *धनुष प्रसाद सिंह, बिन्देश्वर राम, राम वृक्ष दुसाध, विश्वनाथ ठाकुर, जनक सिंह* व *महादेव सिंह* को 6–6 महीने की सजा मिली। 20 अगस्त, 1942 ई. को उँटारी क्षेत्र में *साधो साह, धर्मजीत पांडेय, राम विलास पांडेय, गुलाब सिंह* व *लक्ष्मण सिंह* गिरफ्तार किये गए। 21 अगस्त, 1942 ई. को *राज किशोर सिंह* सहित *विजय शंकर प्रसाद, रामचन्द्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद, कृष्ण मोहन, त्रिवेणी तिवारी, महावीर राम, सुरेश प्रसाद, हरिराम* व *राम नारायण* गिरफ्तार किये गए। 26 अगस्त, 1942 ई. को उँटारी में *भुवनेश्वर प्रसाद, कपिलनाथ, गुरो साह, नकछेदी कहार, दुलारचंद प्रसाद* व *सरयुग पांडेय* को गिरफ्तार किया गया। मनातू पथरा, चैनपुर की भट्ठियों को 30 अगस्त, 1942 ई. को जला डाला गया। इस सिलसिले में *गणेश प्रसाद, कमला पुरी, राम टहल गुप्त, विरेश्वर साव, रामवृक्ष प्रसाद, सुदामा प्रसाद, बद्री नारायण, मनमोहन खरवार, लक्ष्मण साव, राम रेखा साव, नन्हकू सिंह, दिकतार सिंह, राम किसुन साव* व *डोमन साव* गिरफ्तार किये गए। 31 अगस्त, 1942 ई. को लातेहार पुलिस ने *गिरिजानंद सिंह* को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक वर्ष की सजा मिली।

2 सितम्बर, 1942 ई. को गढ़वा व गढ़वा रोड के बीच की सड़क काट दी गई। उसी दिन लेस्लीगंज थाना पर हमला हुआ। सितम्बर, 1942 ई. को लेस्लीगंज पुलिस ने *बिफई भगत* को गिरफ्तार किया। 8 सितम्बर, 1942 ई. को रंका स्कूल के छात्रों ने हड़ताल की। 9 सितम्बर, 1942 ई. को *जेठन सिंह खरवार* को रंका में गिरफ्तार किया गया। 12 सितम्बर, 1942 ई. को टाना भगतों ने चंदवा थाना पर कांग्रेसी झंडा फहरा दिया। 15 सितम्बर, 1942 ई. को लातेहार में *हीरा साव* गिरफ्तार किया गया। 4 अक्तूबर, 1942 ई. को *भगीरथ सिंह खरवार* को गिरफ्तार किया गया। 13 अक्तूबर, 1942 ई. को डाल्टेनगंज के *तीरथ प्रकाश* व *मोतीला सेठ* को गिरफ्तार किया गया तथा दोनों को $1\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$ वर्ष की सजा मिली। 19 अक्तूबर, 1942 ई. को *काजी सैयद सईद* व *गणेश प्रसाद* गिरफ्तार किये गए। नवम्बर, 1942 ई. के अंत तक बचे-खुचे नेता भूमिगत हो गए।

मानभूम : मानभूम में जगह-जगह जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन किये गए, सभाएँ आयोजित की गईं, आवागमन एवं संचार के साधनों को नष्ट किया गया। आंदोलनकारियों ने धनबाद-गोमो रेल लाइन के बीच जगह-जगह पटरियाँ उखाड़ना शुरू कर दिया। टेलीफोन के तार काटे जाने लगे। विवश होकर ब्रिटिश शासन ने दमन-चक्र आरंभ किया। 9 अगस्त, 1942 ई. को *विभूति भूषण दासगुप्ता, वीर राघव आचार्य, पूर्णेन्दु भूषण मुखर्जी* को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त, 1942 ई. को *पी.सी. बोस, मुकुटधारी सिंह, पुन्नीलाल सिंह, बैजनाथ प्रसाद सिंह, हरदेव सिंह, भागवत शास्त्री, गोपाल चन्द्र मुंशी, टेका राम मांझी* गिरफ्तार कर लिये गए। 13 अगस्त, 1942 ई. को *अतुल चन्द्र घोष* गिरफ्तार किये गए। 16 अगस्त, 1942 ई. को *समरेन्द्र मोहन*

Scanned with CamScanner

राय, सुशील चन्द्र दास, अशोक नाथ चौधरी गिरफ्तार किये गए। कतरास, झरिया एवं धनबाद में अनियंत्रित स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।

संथाल परगना : झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र संथाल परगना था। 11 अगस्त, 1942 ई. को देवघर में *विनोदानंद झा* के नेतृत्व में सभा हुई जिसे पुलिस ने भंग कर दिया। गोड्डा कचहरी पर 13 अगस्त, 1942 ई. को कांग्रेसी झंडा फहराया गया। 13–14 अगस्त, 1942 ई. को आंदोलनकारियों ने रेल की पटरियों, सिग्नलों, तार एवं टेलीफोन लाइनों को नष्ट कर दिया। मधुपुर, जसीडीह व देवघर में सरकारी भवनों को नुकसान पहुँचाया गया। देवघर अनुमण्डल के सरवण में आंदोलनकारियों ने समानान्तर सरकार की स्थापना की। दुमका में उपायुक्त के कार्यालय पर कांग्रेसी झण्डा फहराया गया। भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत *मोती लाल केजरीवाल, अशोक बोस, राम जीवन, हिम्मत सिंह* आदि को गिरफ्तार किया गया। 21 अगस्त, 1942 ई. को गोड्डा जेल से लगभग 60 कैदी भाग निकले जिनमें प्रमुख थे—*दुलारचन्द टुडू, रूप नारायण महतो, प्रयागदत्त ठाकुर, युधिष्ठिर झा, सच्चिदानंद झा, मो. मोसर्रफ, राम प्रसाद भंडारी, दीप नारायण मोदी* आदि। *प्रफुल्ल चन्द पटनायक* ने कुछ पहाड़िया सरदारों *जमाकुमार पहाड़िया, सिंधियामल पहाड़िया* व *डोमन लाल* के सहयोग से पहाड़िया आदिवासियों का नेतृत्व किया। पटनायक ने गोड्डा, पाकुड़ व दुमका के मिलन-बिन्दु पर स्थित डांगपारा को अपना मुख्यालय बनाया था। पटनायक के प्रभाव में आकर *बादलमल पहाड़िया* नामक एक पहाड़िया नौजवान, जो अपने परिवार का एकमात्र पुरुष एवं अपनी माँ का एकमात्र पुत्र था, बड़े ही उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ा। वह फिर घर वापस नहीं लौटा। गोड्डा जेल में पुलिस की यातनाओं के कारण वह शहीद हो गया। 25 अगस्त, 1942 ई. को संथाल एवं पहाड़िया आदिवासी आंदोलनकारियों ने अलुवेरा में डाक बंगला एवं वन विभाग के भवनों को जला डाला। जगह-जगह फौज भेजी गयी। *पटनायक* 7 नवम्बर, 1942 ई. को पकड़े गए और 8 नवम्बर, 1942 ई. की सुबह उन्हें राजमहल जेल पहुँचा दिया गया। *पटनायक* को 16 वर्ष कैद की सजा दी गई। एक विशेष फौजी टुकड़ी दुमका पहुँची। गोलीबारी में *त्रिगुनानंद* मारे गए। *विनोदानंद झा, गौरी शंकर डालमिया* व *छविलाल झा* को गिरफ्तार कर लिया गया। वस्तुतः संथाल परगना जिला में 890 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

1943 ई. तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्तप्राय हो गया। झारखंड के संदर्भ में 22 अगस्त, 1943 ई. को *वाचस्पति त्रिपाठी* की गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी प्रायः अंतिम घटना मानी जाती है।

Scanned with CamScanner